न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 35/2020
3. उनवान : सरकार जरिये हरकेश मीणा प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा, हॉकर मैसर्स उर्मिल गैस एजेन्सी निवासी 139बी, जादौन नगर, दुर्गापुरा, जयपुर।
2. श्री भैंरो सिंह पुत्र श्री तखत सिंह केयर आफ ग्राम वर, तह. रायपुर जिला पाली हाल 111, सिंधी कालोनी, दुर्गापुरा जयपुर ठेकेदार उर्मिल गैस
3. मैसर्स उर्मिल गैस एजेन्सी, बीपीसी जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 20-06-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर श्री हरकेश मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, मौका नक्शा, फर्द पूछताछ आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 25.08.2008 को गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की जांच हेतु घर–घर सत्यापन करने के लिये पंहुचने पर प्लाट नं. 139बी, के मकान के एक छोटे कमरे में श्री सीताराम मीणा कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर से दूसरे घरेलू सिलेण्डर में एक बांसुरीनुमा यंत्र से गैस निकालकर भरते हुये पाया गया। मौके पर जब्ती की कार्यवाही कर अवैध तीन घरेलू सिलेण्डर भरे हुये, एक आधे से अधिक भरा हुआ(13.3 किग्रा.) तथा एक खाली सिलेण्डर कुल 5 बीपीसी घरेलू सिलेण्डर, एक कील एवं गैस निकालने का बांसुरीनुमा यंत्र को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त सिलेण्डरों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 08.09.2009 को अधिवक्ता श्री शेलेन्द्र खण्डेलवाल ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 15.06.2009 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया, जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 31.05.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2008 को गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की जांच हेतु घर–घर सत्यापन करने के लिये पंहुचने पर प्लाट नं. 139बी, के मकान के एक छोटे कमरे में श्री सीताराम मीणा कम्पनी के घरेलू गैस सिलेण्डर से दूसरे घरेलू सिलेण्डर में एक बांसुरीनुमा यंत्र से गैस निकालकर भरते

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

हुये पाया गया। जिसने स्वयं को मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस जयपुर का अधिकृत हॉकर मार्फत ठेकेदार भैरुसिंह होना बताया। मौके से सीताराम मीणा से उर्मिल गैस से उपभोक्ताओं को रिफिल हेतु जारी की गई 17 पर्चियां जब्त की गई। इन पर्चियों के विरुद्ध ठेकेदार भैरुसिंह होना बताया जिनमें से 6 सिलेण्डर पर्चियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को दिया जाना बताया। जांच करने पर 3 घरेलू सिलेण्डर भरे हुये, एक खाली सिलेण्डर तथा एक आधे से अधिक भरा हुआ पाया गया। इसी संदर्भ में मैसर्स उर्मिल गैस सर्विस जयपुर के डम्पिंग सेन्टर की जांच की गई जिसमें 4 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर कम पाये गये जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैस एजेन्सी द्वारा अप्रत्यक्ष रुप से गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी में सहयोग किया जाता है। जवाब में अप्रार्थी संख्या 3 ने एक सिलेण्डर को अपना नहीं बताया है और शेष 4 सिलेण्डरों को ही वापस देने का निवेदन किया है। साथ ही प्रकरण में दर्ज एफआईआर में माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–15 में दिनांक 24.09.2018 को आदेश पारित किये कि ''अभियुक्तगण (1) सीताराम मीणा पुत्र श्री रामनारायण, निवासी ग्राम सिलकी ढाणी तन होड थाना खण्डेला, जिला सीकर हाल म0नं0 747/3 दुर्गापुरा, जयपुर (2) भैरुसिंह पुत्र श्री तख्तसिंह, निवासी म0नं0 111, सिन्धी कॉलोनी, दुर्गापुरा, जयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।'' माननीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण को धारा 3/7 में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया है परन्तु ऐसी स्थिति में भौतिक रूप से जब्त साक्ष्यों को नकारा नहीं जा सकता, जिसमें मौके पर गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी होना पुष्ट होता है। उपरोक्त अप्रार्थीगण द्वारा किया गया कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें तीन घरेलू सिलेण्डर भरे हुये, एक आधे से अधिक भरा हुआ (13.3 किग्रा.) तथा एक खाली सिलेण्डर कुल 5 बीपीसी घरेलू सिलेण्डर, एक कील एवं गैस निकालने का बांसुरीनुमा यंत्र को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।